

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक -सामान्य/II/10/2019.

दिनांक 31.10.19.

- आदेश-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमॉक प.1(6)न्याय/2019 दिनांक 22.10.2019 एवं 23.10.2019 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालयों का नाम	सेशन न्यायालयों का नाम	बैठक का स्थान
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 5, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
3.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 6, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर	अलवर
4.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 6, बीकानेर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	बीकानेर
5.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 7, बीकानेर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	बीकानेर
6.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 7, जोधपुर महानगर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर
7.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4, कोटपूतली	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला	जयपुर जिला
8.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, शाहपुरा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला	जयपुर जिला

आदेशानुसार,

(सतीश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक सामान्य/II/2019/1559

दिनांक 31.10.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
7. प्र.अ.न्या. अधीनस्थ न्यायालय स्था. शाखा, रा.उ.न्या., जोधपुर।

(सतीश कुमार शर्मा)